कार्यालय प्रभारी अधिकारी,
गन्ना अनुसंधान केन्द्र,
बाजपुर रोड, काशीपुर।

पत्रांक: एस0आर0सी0/430
दिनांक: जनवरी 23, 2024

निविदा प्रपत्र

गन्ना अनुसंधान केन्द्र, काशीपुर के प्रक्षेत्र खलिहान पर रखे 43 लकड़ी के गिल्टों को माननीय न्यायालय, काशीपुर के आदेश के कम में निविदा प्रकिया के अन्तर्गत खुली बोली के माध्यम से नीलामी हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्नलिखित है।

1.	निविदा प्रपत्र की बिकी की तिथि	:	निविदा प्रपत्र 27.01.2024 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 08.02.2024 अपराह्न 01:00 बजे तक केन्द्र के कार्यालय से नगद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते है।
2.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	रू0 50.00 + GST @ 18 % = कुल रू0 59.00 (नॉन रिफण्डेबल)
3.	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 08.02.2024 समय 2:00 बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांक 08.02.2024 समय 2:30 बजे
5.	निविदा खोलने का स्थान	:	गन्ना अनुसंधान केन्द्र, काशीपुर, प्रशासनिक भवन

क्र0सं0	नीलामी सामग्री	निविदाता का नाम एवं पता
1.	43 लकड़ी के गिल्टों को निविदा प्रकिया के अन्तर्गत खुली बोली के माध्यम से नीलामी	

1. प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि से कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक निविदा प्रपत्र रूपया 50.00 + GST (As application 18 %) सकल रूपया 59.00 की दर से (नॉन रिफण्डेबल) विकय किये जायेंगे।
2. निविदाताओं द्वारा प्रतिभाग करने के लिए धरोहर धनराशि रूपया 10,000.00 नगद रूप से निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित समय दिनांक 08.02.2024 अपराह्न 2:00 बजे तक प्रभारी अधिकारी कार्यालय में जमा होना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा दाताओं को नीलामी में प्रतिभाग करने का अधिकार नहीं होगा। उपस्थित निविदादाताओं द्वारा दिनांक 08.02.2024 के अपराह्न 2:30 बजे समिति के समक्ष बोली लगायी जायेगी।
3. उक्त धरोहर धनराशि सफल बोलीदाता की समायोजित कर ली जायेगी तथा अन्य असफल बोलीदाता धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी।
4. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
5. सफल निविदाता को उच्चतम बोली की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत (धरोहर धनराशि के अतिरिक्त) तुरन्त नगद रूप में अथवा संस्था के खाते में (UPI/NEFT/RTGS/Net Banking) आदि के माध्यम से जमा करना होगा। अवशेष धनराशि माल उठाने से पूर्व (अधिकतम नीलामी तिथि से 01 सप्ताह के अर्न्तगत) जमा करनी होगी।
6. यूकेलिप्टिस के 43 लकड़ी के गिल्टों की निकासी से पूर्व क्रेता को निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क की धनराशि भी स्वयं जमा करनी होगी।
7. क्रेता अथवा उनके कार्मिकों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से निकासी तक केन्द्र की किसी भी सम्पत्ति के नुकसान पर क्रेता की जिम्मेदारी मानी जायेगी।
8. उपरोक्त उल्लेखित शर्तो का पालन न करने की दशा में 43 यूकेलिप्टिस की बिकी रद्द मानी जायेगी।

23/01/24

प्रभारी अधिकारी